

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 16.05.17

संख्या-12/प्रो-12006/11-सा0प्रो- 5833 /बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं0 4800 दिनांक 01.04.2016 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13298 दिनांक 28.09.2016 के आलोक में उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के पे बैंड-3 रू0 15600-39100 + ग्रेड पे-रू0 6600/- में औपबंधिक रूप से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1	श्री राजेश परिमल, 902/11, समस्तीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी ।
2	श्री राजीव रंजन प्रभाकर, 905/11, सहरसा	वरीय उप समाहर्ता, गया ।
3	श्री धनंजय कुमार, 906/11, सारण	विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना में प्रतिनियुक्त) ।
4	श्री राकेश कुमार, 907/11, सारण	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद ।
5	श्री संजय कृष्ण, 908/11, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर ।
6	श्री गुफरान अहमद, 909/11, औरंगाबाद	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।
7	श्री मृणायक दास, 911/11, प0 बंगाल	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना ।
8	श्री मनोरंजन कुमार, 912/11, पूर्वी चंपारण	विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना ।
9	श्री विकास कुमार, 915/11, सिवान	विशेष भू अर्जन पदाधिकारी, बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना (जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) ।
10	डॉ0 गगन, 917/11, पटना	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महनार, वैशाली ।
11	श्री आशीष कुमार सिन्हा, 918/11, बेगूसराय	निदेशक-सह सचिव, बिहार खेल प्राधिकरण, पटना (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) ।
12	श्री कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, 922/11, कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर ।

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0(सी) सं0-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी ।

3. उपर्युक्त क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,10 एवं 12 पर अंकित पदाधिकारियों के द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए उप सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्कमित करते हुए उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

4. उपर्युक्त नव प्रोन्नति पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा ।

5. वित्त विभागीय परिपत्र सं0 3637 दिनांक 10.04.2013 की कंडिका 2 के आलोक में प्रोन्नति की तिथि से अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को एक माह के अन्दर विकल्प देना आवश्यक होगा ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भीम प्रसाद) 17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प्रो0-12006/11-सा0प्र0- 5833 /पटना, दिनांक- 16.05.2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव